



CIRCULAR

Circular No: PFRDA/2024/05/Sup-CRA/02

20th Feb 2024

To

All Central and State Government Nodal Offices, CABs and SABs

Subject: Securing NPS transactions through Aadhaar-based access of CRA system under the Government sector

The Nodal Offices under Central and State Governments including their associated Autonomous Bodies currently utilize a password-based login to access the Central Recordkeeping Agency (CRA) for NPS transactions.

2. To enhance the security measures in accessing the CRA system and safeguard the interests of subscribers and stakeholders, it has been decided to bring in additional security features through Aadhaar-based authentication for login to the CRA system. The Aadhaar-based login authentication will be integrated with the current user id and password-based login process so as to make the CRA system accessible through 2 Factor Authentication.

3. The integration of Aadhaar-based login authentication is a proactive step to fortify the overall authentication and login framework. This initiative is designed to create a secure environment for all NPS activities carried out by Government Offices and Autonomous Bodies.

4. The development of the new system of login framework with these enhanced features is currently underway by the CRAs and is anticipated to go-live on 1st April 2024.

5. CRAs will disseminate a detailed Standard Operating Procedure (SOP) along with the process flow to Government Nodal Offices and engage extensively with Nodal Officers to make them aware of the changes thereby ensuring a seamless transition.

6. All offices under Government Sector and Autonomous Bodies are advised to note the same and put in place the necessary framework for implementation of the additional feature of Aadhaar-based login and authentication in CRA system to perform all NPS-related activities.

Yours sincerely,

(Chief General Manager)

Page 1 of 1



परिपत्र

परिपत्र संख्या : पीएफआरडीए/2024/05/एसयूपी-सीआरए/02

20 फरवरी 2024

प्रति,

केंद्र और राज्य सरकार के सभी नोडल कार्यालय, सीएबी और एसएबी

विषय: सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत सीआरए प्रणाली में आधार-आधारित पहुंच के माध्यम से एनपीएस लेनदेन का संरक्षण करने के सन्दर्भ में

केंद्र और राज्य सरकारों एवं उनके सहयुक्त स्वायत्त निकायों के अंतर्गत नोडल कार्यालय, वर्तमान में एनपीएस लेनदेन के लिए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) की वेबसाइट का उपयोग करने हेतु पासवर्ड-आधारित लॉगिन का उपयोग करते हैं।

2. सीआरए प्रणाली का उपयोग करने में सुरक्षा उपायों को उन्नत करने और अभिदाताओं और हितधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए, सीआरए प्रणाली में लॉगिन हेतु आधार-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आधार-आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण को विद्यमान उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड-आधारित लॉगिन प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि सीआरए प्रणाली को 2-फैक्टर प्रमाणीकरण के माध्यम से सुलभ बनाया जा सके।

3. आधार-आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण के एकीकरण की प्रक्रिया समग्र प्रमाणीकरण और लॉगिन संरचना को सशक्त करने हेतु एक सक्रिय कदम है। यह पहल, सरकारी कार्यालयों और स्वायत्त निकायों द्वारा की जाने वाली सभी एनपीएस गतिविधियों हेतु एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

4. इन उन्नत सुविधाओं के साथ लॉगिन संरचना की नई प्रणाली का विकास वर्तमान में सीआरए द्वारा जारी है तथा दिनांक 1 अप्रैल 2024 से इसके आरम्भ होने की संभावना है।

5. सभी सीआरए द्वारा सरकारी नोडल कार्यालयों को प्रक्रिया-प्रवाह (प्रोसेस-फ्लो) के साथ-साथ एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) प्रदान की जाएगी तथा बड़े पैमाने पर इसमें नोडल अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि उन्हें इन बदलावों के बारे में जागरूक किया जा सके, जिससे बदलाव की यह प्रक्रिया निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जा सके।

6. सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत सभी कार्यालयों और स्वायत्त निकायों को सलाह दी जाती है कि, वे इस पर ध्यान दें और एनपीएस से संबंधित सभी गतिविधियों के निष्पादन हेतु सीआरए प्रणाली में आधार-आधारित लॉगिन और प्रमाणीकरण की अतिरिक्त सुविधा को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक ढांचा स्थापित करें।

भवदीय,

(मुख्य महाप्रबंधक)

Page 1 of 1